



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 110 राँची, शुक्रवार,

28 फरवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

6 फरवरी, 2025

आदेश सं०-03/आरोप-11-54/2018 का०-681--उपायुक्त, पलामू द्वारा श्री संजय शांडिल्य, झा०प्र०से०, अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बजार, श्री बुझाय सारू, झा०प्र०से०, अधिसूचित अंचल अधिकारी, पाण्डू, पलामू एवं श्री जागो महतो, झा०प्र०से०, अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के विरुद्ध स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं उक्त अधिसूचित पदों पर योगदान समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप पत्र गठित कर मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड को प्रेषित करते हुए उसकी सूचना ज्ञापांक495, दिनांक 15.10.2024 द्वारा विभाग को दी गई है ।

उपर्युक्त तीनों पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों पर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संबंधित उपायुक्तों से प्राप्त मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के आदेश ज्ञापांक-7566, 7567, 7568, दिनांक 23.11.2024 द्वारा क्रमशः श्री शांडिल्य, श्री सारू एवं श्री महतो को भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित की गई है।

अतः मामले के समीक्षोपरांत, श्री संजय शांडिल्य, श्री बुझाय सारू एवं श्री जागो महतो को चेतावनी देते हुए संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
